

[illegible]

14	साइक्रियाट्री	1			1			1			1		1								1					1	1						8		
15	सामान्य सर्जरी				2			2		1		1									3						1	1		1	1		11		
16	न्यूरो सर्जरी															1																	1		
17	आर्थोपेडिक्स				1					1	1						1										3						7		
18	ई0एन0टी0						1			1																							2		
19	आपथलमोलोजी																1														1		2		
20	आब्स एण्ड गायनी0		2		1			1			2																	2		1	1		10		
21	एम.डब्ल्यू.ओ (आ.एण्ड गायनी)															1																	1		
22	एनेस्थीसियालोजी										1					1											3	1					6		
23	रेडियोडायग्नोसिस					1		1	1	1						1	1		1	1			2				2	2		1	1		16		
24	डेंटिस्ट्री															1						1											2		
25	फिजीसिस्ट																		1			1											2		
26	रेडियोथेरेपी																	1	1	1			1					1	1				6		
27	कार्डियोलोजी															1					1	1			1	1							5		
28	ब्लड बैंक	1			1			1				2				1	1	1		1		1	1	1				1	1		1		15		
योग:-		6	7	2	10	12	4	7	14	1	12	13	11	4	1	1	7	17	7	3	15	4	13	25	5	3	2	3	13	24	5	7	12	7	277

9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
13. चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
16. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं।

महानिदेशक